फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमति चांदी पत्नि हेमराज भील निवासी बिलडी तहसील भदेसर
बनाम
श्री शम्भूलाल पिता हरलाल जाट निवासी बिलडी तहसील भदेसर वगैरा

प्रकरण संख्या 29/2018 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन बार आवाज लगवाने पर भी उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 व 2 की तामील शेष है। अधिवक्ता प्रार्थी को दिनांक 11.03.2020 को विपक्षी संख्या 1 व 2 तामील हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. का नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उनके द्वारा आदिनांक तक रजिस्टर्ड ए. डी. का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है जबकि इस हेतु अधिवक्ता प्रार्थी को कई बार निर्देशित किया जा चुका है तथा दिनांक 27.05.2022 को न्यायहित में रजिस्टर्ड ए. डी. का नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है फिर भी उनके द्वारा आदिनांक तक वि. सं. 1 व 2 की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. का नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है तथा आज उपस्थित भी नहीं हुए हैं अर्थात् अधिवक्ता प्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति के प्रेषित की जावे।	